HARYANA GOVERNMENT
COOPERATION DEPARTMENT
INDEX

Sr.No.	Date of Notification	Brief contents of notification	Page No.
1.	27th December, 1991	Haryana Co-operation Department Head Office and Sub-Offices (Group D) Service Rules, 1991 (English version)	2-17
2.	27th December, 1991	Haryana Co-operation Department Head Office and Sub-Offices (Group D) Service Rules, 1991 (Hindi version)	18-36
3.	13th January, 2014	Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-Offices (Group D) Service (Amendment) Rules, 2014 (English version)	37
4.	13th January, 2014	Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-Offices (Group D) Service (Amendment) Rules, 2014 (Hindi version)	38

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

CO-OPERATION DEPARTMENT

Notification

The 27th December, 1991

No. G. S. R. 1/Const./Art. 309/91.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Harvana Co-operation Department Head-Office and Sub-Offices (Group 'D') Service, namely:—

PART I—GENERAL

Short title and commencement.

1. (*i*) These rules may be called the Haryana Co-operation Department Head Office and Sub-Offices (Group 'D') Service Rules, 1991.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) (direct recruitment) means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government.

(b) (Government) means the Haryana Government in the Administrative Department;

(c) (Head Office) means the office of the Registrar, Co-operative Societies, Haryana;

(d) (Registrar) means the Registrar, Co-operative Societies, Haryana;

(e) (Sub-Office) means all the offices under the Registrar, Co-operative Societies, Haryana.

(f) (Service) means the Haryana Co-operation Department Head-Office and Sub-Offices (Group 'D') Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in the Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the Service.

4. (*I*) No person shall be appointed to any post in the service unless he is:—

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, The United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malwi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to any examination or interview conducted by the recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character, from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than 16 years or more than 35 years of age, on the date of appointment. Age.

6. Appointment to the various posts in the Service shall be made as under :— Appointin authorit.

Head Office:

In case of Daftri, Jamadar, Peon, Library Attendant, Chowkidar, Sweeper-cum-Chowkidar, Sweeper and Mali-cum-Chowkidar by the Additional Registrar (Administration) Cooperative Societies.

Sub-Office:

(1) In case of Peon, Chowkidar and Sweeper-cum-Chowkidar appointed in each circle of Deputy Registrar, Cooperative Societies by the respective Deputy Registrar, Cooperative Societies.

(2) In case of Peon, Chowkidar and Sweeper-cum-Chowkidar appointed in the office of Cooperative Training Institute, Rohtak by the Principal, Cooperative Training Institute, Rohtak.

(3) In case of Peon, Chowkidar and Sweeper-cum-Chowkidar appointed in each circle of Audit Officers, Co-operative Societies by the rsepective Audit Officer, Co-operative Societies.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to there rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment ;

Provided that in the case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to scheduled castes, backward classes, ex-servicemen and physically handicapped candidates, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reeerved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person ;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt, any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (I) Recruitment to the service shall be made ;

Head Office

(a) In case of Daftri and Jamadar—

(i) by promotion from amongst Peons ;

(ii) by transfer or deputation of an official already in the ser ice of any State Government or the Government of India ;

(b) In case of Peon—

(i) by direct recruitment ;

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(c) In case of Library Attendant—

(i) by direct recruitment ;

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(d) In case of Chowkidar—

(i) by direct recruitment ;

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(e) In case of Sweeper-cum-Chowkidar—

(i) by direct recruitment ;

(ii) by transfer or deputations of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(f) In case of Sweeper —

(i) by direct recruitment ;

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(g) In case of Mali-cum-Chowkidar—

(i) by direct recruitment;

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

Sub-Office

(a) In case of peon—

(i) by direct recruitment ;

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(b) In case of chowkidar—

(i) by direct recruitment ;

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(c) In case of Sweeper-cum-Chowkidar—

(i) by direct recruitment;

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(2) When any vacancy occurs or is about to occur, the appointing authority shall determine the method by which such vacancy shall be filled in.

(3) All promotions unless otherwise provided shall be made on seniority-cum-fitness basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed by otherwise ;

Provided that—

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of Probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may ;

(a) if such person is appinted by direct recruitment dispense with his services ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment ;

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner, as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may;

(a) if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory;

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his Probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory ;

(i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. (1) Seniority *inter se* of the member of the service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be dtermined separately for each cadre ;

Provided that in case of members recruited by direct recruitment the order of merit, if any, drawn up at the time of selection shall not be disturbed, and persons recruited as a result of an earlier selection shall be senior to those appointed as a result of subsequent selection :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transfered ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also be same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the service may also be deputed to serve under ;—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or unversity within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a company, an association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a Private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or a body referred to in cluase (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, leave pension and other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be goverened by such rules and regulations as may have been, or may thereafter be, adopted or made by competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline penalties and appeals.

14. (*1*) In matters relating to discipline, penalties and appeal, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from tim to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such Penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(*2*) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules 1987 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the service shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service unlesss he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of a the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, be order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Resevation

19. Nothing contained in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for scheduled castes, backward classes, exservicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

Repeal and Savings.

20. The Punjab State (Class IV) Service, Rules, 1963, or any other rule applicable to the member of the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed;

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX—A

(*See* rule 3)

Serial Number	Designation of the post	No. of posts			Scale of pay
		Permanent	Temorary	Total	
1	2	3	4	5	6
	Head Office				Rs.
1	Daftri ..	1	—	1	800—15—1,010—EB—20—1,150
2	Jamadar	1	—	1	800—15—1,010—EB—20—1,150
3	Peon	13	17	30	750—12—870—EB—14—940
4	Library Attendant	—	1	1	750—12—870—EB—14—940
5	Chowkidar	—	1	1	750—12—870—EB—14—940
6	Sweeper-cum-Chowkidar	—	1	1	750—12—870—EB—14—940
7	Sweeper	1	1	2	750—12—870—EB—14—940
8	Mali-cum-Chowkidar	1	—	1	750—12—870—EB—14—940
	Sub-Office				
1	Peon	178	148	326	750—12—870—EB—14—940
2	Chowkidar	—	3	3	750—12—870—EB—14—940
3	Sweeper-cum-Chowkidar	—	7	7	750—12—870—EB—14—940
	Total		..	374	

APPENDIX—B

(*See* rule 7)

Serial No.	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
	Head Office		
1	Daftri	—	At least eight years experience as peon.
2	Jamadar	—	At least eight years experience as peon in the Head Office
3	Peon	Middle pass with Hindi, preference will be given to a candidate passing higher qualifications	Middle pass with Hindi, preference will be given to a candidate possessing higher qualifications.
4	Library Attendant	Middle pass with Hindi, preference will be given to a candidate possessing higher qualifications	Middle pass with Hindi, preference will be given to a candidate possessing higher qualifications.
5	Chowkidar	Must be literate. Preference will be given to Hindi knowing candidate	Must be literate, Preference will be given to Hindi knowing candidate.
6	Sweeper-cum-Chowkidar	Must be literate, Preference will be given to Hindi knowing candidate	Must be literate. Preference will be given to Hindi knowing candidate.
7	Sweeper	Must be literate knowing Hindi	Must be literate knowing Hindi.
8	Mali-cum-Chowkidar	Having knowledge of gardening	Having knowledge of gardening.
	Sub-Office		
1	Peon	Middle with Hindi. Preference will be given to a candidate possessing higher qualifications	Middle pass with Hindi. Preference will be given to a candidate possessing higher qualifications.
2	Chowkidar	Must be literate. Preference will be given to Hindi knowing candidate	Must be litrate. Preference will be given to Hindi knowing candidate.
3	Sweeper-cum-Chowkidar	Must be literate. Preference will be given to Hindi knowing candidate	Must be litrate. Preference will be given to Hindi knowing candidate.

APPENDIX—C

[*See* rule 1(1)]

Serial No.	Designation of the post	Appointing authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
HEAD OFFICE						
1	Daftri	Additional Registrar (Administration) Co-operative Societies	(1) Minor Penalties— (i) warning with a copy in the personal file (Character roll)	Additional Registrar Administration Cooperative Societies	Registrar	Government
2	Jamadar		(ii) Censure			
3	Peon		(iii) withholding of promotion			
4	Library Attendant		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligency or breach of orders to Central Government or a State Government or to a company and association or a body of Individuals whether incorporated or not which is wholly			
5	Chowkidar					
6	Sweeper-cum-Chowkidar					
7	Sweeper					
8	Mali-cum-Chowkidar					

1	2	3	4	5	6	7
			or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and (v) Withholding of increments of Pay; (2) Major penalties (vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the furture increments of his pay; (vii) reduction to lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee			

1	2	3	4	5	6	7
			to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;			
			(viii) compulsory retirement;			
			(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;			
			(x) Dismisal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government;			
SUB-OFFICE						
1.	**Peon, Chowkidar and Sweeper-cum-Chowkidar appointed in each circle of Deputy Registrar, Co-operative Societies.**	**Respective Deputy Registrar, Co-operative Societies**	**In** the case of penalties listed above from (i) to (x)	**Respective Deputy Registrar Co-operative Societies**	**Registrar**	**Government**

1	2	3	4	5	6	7
2.	Peon, Chowkidar and Sweeper-cum-Chowkidar appointed in the office of Co-operative Training Institute, Rohtak	Principal, Co-operative Training institute, Rohtak	In the case of penalties listed above from (i) to (x)	Principal, Co-operative training institute, Rohtak	Registrar	Government
3.	Peon, Chowkidar and Sweeper-cum-Chowkidar appointed in each Circle of Audit Officers Co-operative Societies	Respective Audit Officer Co-operative Societies	In the case of penalties listed above from (i) to (x)	Respective Audit Officer, Co-operative Societies	Registrar	Government

APPENDIX 'D'

[*See* Rule 14(2)]

Serial No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
	HEAD OFFICE	(i) reducing or withholdidg the amount of ordinary or pension admissible under the rules governing pension; (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Additional Registrar, (Administration) Co-operative Societies	Registrar	Government
1	Daftri				
2	Jamadar				
3	Peon				
4	Library Attendant				
5	Chowkidar				
6	Sweeper-cum-Chowkidar				
7	Sweeper				
8	Mali-cum-Chowkidar				
	SUB-OFFICE				
1	Peon, Chokidar and Sweeper-cum-Chokidar appointed in each circle of Deputy Registrar, Co-operative Societies	As in case of (i) and (ii) above.	Respective Deputy Registrar, Co-operative Societies	Registrar	Government

1	2	3	4	5	6
2	Peons, Chokidars and Sweeper-cum-Chokidars appointed in the office of Principal, Co-operative Training Institute, Rohtak	As in case of (i) and (ii) above.	Principal, Co-operative Training Institute, Rohtak	Registrar	Government
3	Peons, Chowkidar and Sweeper-cum-Chowkidar appoined in each circle of Audit Officers Co-operative Societies.	As in case of (i) and (ii) above.	Respective Audit Officers Co-operative Societies.	Registrar	Government

T. D. JOGPAL,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Co-operation Department.

हरियाणा सरकार

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 दिसम्बर, 1991

सं० सा० का० नि० 1/संवि०/अनु० 309/91.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग I—सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (गुप घ) सेवा नियम, 1991, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो — परिभाषाएं।

(क) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानांतरण से अन्यथा की गई हो ;

(ख) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ग) "मुख्य कार्यालय" से अभिप्राय है, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, हरियाणा का कार्यालय;

(घ) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, हरियाणा;

(ङ) "अधीनस्थ कार्यालय" से अभिप्राय है, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, हरियाणा के अधीन सभी कार्यालय ;

(च) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा।

भाग II—सेवा में भर्ती

3. सेवा में नियमों इन परिशिष्ट "क" में बताये गये पद होंगे ; पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।
परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनानें के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता अधिवास तथा चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो जनवरी, 1962, प्रथम दिन से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर, भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख) (ग), (घ) या (ङ) से सम्बधित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये, प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि यह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उसे भलीभांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे ।

आयु ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो नियुक्ति की तिथि को 16 वर्ष की आयु से कम या पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो ।

नियुक्ति प्राधिकारी ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति निम्न प्रकार से की जायेगी :—

मुख्यालय –

(1) दफ्तरी, जमादार, सेवादार, पुस्तकालय परिचर, चौकीदार, सफाईकर्ता एवं चौकीदार, स्वीपर तथा माली एवं चौकीदार की दशा में अपर रजिस्ट्रार (प्रशासन), सहकारी समितियों, द्वारा ।

अधीनस्थ कार्यालय —

(1) उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के वृत में अपने-अपने उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, द्वारा नियुक्त सेवादार, चौकीदार तथा सफाईकर्ता एवं चौकीदार की दशा में ।

(2) प्रधानाचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, रोहतक में प्रधानाचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, रोहतक द्वारा नियुक्त सेवादार, चौकीदार तथा सफाईकर्ता एवं चौकीदार की दशा में ।

(3) लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां के वृत में अपने-अपने लेखा-परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां द्वारा नियुक्त सेवादार, चौकीदार तथा सफाईकर्ता एवं चौकीदार की दशा में ।

योग्यताएं ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताएं में अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो । ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जाएंगे ।

अयोग्यताएं ।

8. कोई भी व्यक्ति :—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसा व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होनें से छूट दे सकती है ।

भर्ती के ढंग ।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :—

मुख्य कार्यालय—

(क) मुख्य कार्यालय में दफतरी तथा जमादार की दशा में—

(i) सेवादारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) सेवादारों की दशा में—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) पुस्तकालय परिचर की दशा में—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) चौकीदार की दशा में—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ङ) सफाईकर्ता एवं चौकीदार की दशा में—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(च) सफाईकर्ता की दशा में—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(छ) माली कम–चौकीदार की दशा में—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

अधीनस्थ कार्यालय—

(क) सेवादारों की दशा में—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) चौकीदार की दशा में—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) सफाईकर्ता एवं चौकीदार की दशा में—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) जब कोई रिक्ति होती है या होने वाली होती है तो नियुक्ति प्राधिकारी निश्चित करेगा कि ऐसी रिक्ति किस ढंग से भरी जायेगी ।

(3) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, सभी पदोन्नतियां ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिये कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा : परिवीक्षा।

परन्तु :—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ।

(ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानांतरण नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी; किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानांतरण के रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्टि किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह ;

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी —

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो ;

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा में अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो —

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कारवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये निम्न प्रकार से अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि एक की ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित ढंग से निश्चित की जाएगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरित किये गये थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उसकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन सेवा के लिये प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा ।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा [redacted] नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं ।

अनुशासन शास्तियां तथा अपीलें ।

14. अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील अधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन हो रहे हों, जो इन नियमों के परिशिष्ट (ग) में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट (घ) में विनिर्दिष्ट है ।

टीका लगाना ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब भी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा या पुनः टीका लगवाएगा ।

राजनिष्ठा की शपथ ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब, तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

ढील देने की शक्ति ।

17. जहां तक सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां पर कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबन्ध ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण ।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृत्ति ।

20. पंजाब राज्य वर्ग (iv) सेवा नियम, 1963 अथवा दूसरे कोई सेवा नियम जो सदस्यों पर इससे तुरन्त पूर्व लागू थे और इन नियमों के अनुरुप थे को इसके द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरुप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई समझी जाएगी ।

परिशिष्ट "क"

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या स्थायी	पदों की संख्या अस्थाई	जोड़	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
	मुख्य कार्यालय				
1	दफ्तरी	1	—	1	800—15—1,010—द० रो०—20—1,150 रुपये
2	जमादार	1	—	1	800—15—1,010—द० रो०—20—1,150 रुपये
3	सेवादार	13	17	30	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपये
4	पुस्तकालय परिचर	—	1	1	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपये
5	चौकीदार	—	1	1	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपये
6	सफाईकर्ता एवं चौकीदार	—	1	1	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपये
7	सफाईकर्ता	1	1	2	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपये
8	माली एवं चौकीदार	1	—	1	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपये

1	2	3	4	5	6
	अधीनस्थ कार्यालय				
1	सेबादार	178	148	326	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपये
2	चौकीदार	—	3	3	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपये
3	सफाईकर्ता एबं चौकीदार	—	7	7	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपये
			जोड़	374	

परिशिष्ट "ख"

(देखिए नियम 7)

क्रम सं०	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
	मुख्यालय—कार्यालय—स्टाफ		
1	दफ्तरी	—	सेवक के रूप में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव ।
2	जमादार	— मुख्यालय में—	सेवक के रूप में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव ।
3	सेवक	हिन्दी सहित 8वीं पास । उच्चतर शिक्षा रखने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा ।	हिन्दी सहित 8वीं पास । उच्चतर शिक्षा रखने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा ।
4	पुस्तकालय परिचर	हिन्दी सहित 8वीं पास । उच्चतर शिक्षा रखने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा ।	हिन्दी सहित 8वीं पास । उच्चतर शिक्षा रखने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा ।
5	चौकीदार	शिक्षित हो । हिन्दी के ज्ञान वाले को अधिमान दिया जाएगा ।	शिक्षित हो । हिन्दी के ज्ञान वाले को अधिमान दिया जाएगा ।
6	सफाईकर्ता एवं चौकीदार	शिक्षित हो । हिन्दी के ज्ञान वाले को अधिमान दिया जाएगा ।	शिक्षित हो । हिन्दी के ज्ञान वाले को अधिमान दिया जाएगा ।
7	सफाईकर्ता	हिन्दी के ज्ञान सहित शिक्षित ।	हिन्दी के ज्ञान सहित शिक्षित ।
8	माली एवं चौकीदार	बागवानी का ज्ञान हो ।	बागवानी का ज्ञान हो ।

परिशिष्ट "ख"

1	2	3	4
	अधीनस्थ कार्यालय		
1	सेवक	हिन्दी सहित 8वीं श्रेणी पास, उच्चतर शिक्षा वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा।	हिन्दी सहित 8वीं श्रेणी पास, उच्चतर शिक्षा रखने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा।
2	चौकीदार	शिक्षित हो। हिन्दी ज्ञान रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा।	शिक्षित हो। हिन्दी ज्ञान रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा।
3	सफाईकर्ता एवं चौकीदार	शिक्षित हो। हिन्दी ज्ञान रखने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा।	शिक्षित हो। हिन्दी ज्ञान रखने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा।

परिशिष्ट "ख"

[देखिए नियम 14(1)]

क्र० सं०	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियों का स्वरूप	शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील अधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
	(क) मुख्य कार्यालय 1 दफतरी 2 जमादार 3 मुख्यालय में सेवादार 4 पुस्तकालय परिचर 5 चौकीदार 6 सफाईकर्ता एवं चौकीदार 7 सफाईकर्ता 8 माली एवं चौकीदार	अपर रजिस्ट्रार (प्रशासन) सहकारी समितियां	(I) छोटी शास्तियां (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) प्रति रखते हुए चेतावनी; (ii) परिनिन्द; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है, या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ।	अपर रजिस्ट्रार (प्रशासन) सहकारी समितियां	रजिस्ट्रार	सरकार

1	2	3	4	5	6	7
			(v) वेतन वृद्धियां रोकना;			
			2. बड़ी शास्तियां			
			(vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसे अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;			
			(vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतय: रोक होगी, ऐसा, जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में			

1	2	3	4	5	6	7
			शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा । (viii) अनिवार्य सेवा-निवृति ; (ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ; (x) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यत: निरर्हता होगी ।			
	अधीनस्थ कार्यालय-अमला					
1	सेवादार, चौकीदार, सफाईकर्ता एवं चौकीदार जो प्रत्येक उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के वृत में नियुक्त हो ।	सम्बन्धित उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ।	उपर्युक्त (i) से (x) तक दी गई शास्तियां	सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ।	रजिस्ट्रार	सरकार
2	सेवादार, चौकीदार तथा सफाईकर्ता एवं चौकीदार जो सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, रोहतक में नियुक्त हो।	प्रधानाचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, रोहतक।	उपर्युक्त (i) से (ix) तक दी गई शास्तियां	प्रधानाचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, रोहतक	रजिस्ट्रार	सरकार

1	2	3	4	5	6	7
3	सेवादार, चौकीदार तथा सफाईकर्ता एवं चौकीदार जो प्रत्येक लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां।	सम्बन्धित लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां।	उपर्युक्त (i) से (x) तक दी गई शास्तियां	सम्बन्धित लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां।	रजिस्ट्रार	सरकार

परिशिष्ट "ब"

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम सं०	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
	(क) मुख्य कार्यालय अमला				
1	दफ्तरी	(I) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना।	अपर रजिस्ट्रार (प्रशासन) सहकारी समितियां।	रजिस्ट्रार	सरकार
2	जमादार				
3	सेवादार				
4	पुस्तकालय परिचर				
5	चौकीदार				
6	सफाईकर्ता एवं चौकीदार	(II) उसके अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा, नियुक्ति की समाप्ति।			
7	सफाईकर्ता				
8	माली एवं सफाईकर्ता				

1	2	3	4	5	6
	अधीनस्थ कार्यालय				
1	सेवक, चौकीदार तथा सफाईकर्ता एवं चौकीदार जो प्रत्येक उप-रजिट्रार, सहकारी समितियों के वृत में नियुक्त हो।	जैसा उपर्युक्त (I) तथा (II) की दशा में	सम्बन्धित उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	रजिस्ट्रार	सरकार
2	सेवादार, चौकीदार तथा सफाईकर्ता एवं चौकीदार जो प्रधानाचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, रोहतक के कार्यालय में नियुक्त हो	जैसा उपर्युक्त (I) तथा (II) की दशा मे	प्रधानाचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, रोहतक	रजिस्ट्रार	सरकार
3	सेवादार, चौकीदार तथा सफाईकर्ता एवं चौकीदार जो प्रत्येक लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां	जैसा उपर्युक्त (I) तथा (II) की दशा में	सम्बन्धित लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां	रजिस्ट्रार	सरकार

टी॰ डी॰ जोगपाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
सहकारिता विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

CO-OPERATION DEPARTMENT

Notification

The 13th January, 2014

No. G.S.R. 6/Const./Art. 309/2014.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Co-operation Department Head-Office and Sub-Offices (Group D) Service Rules, 1991, namely :—

1. These rules may be called the Haryana State Co-operation Department Head-Office and Sub-Offices (Group D) Service (Amendment), Rules, 2014.

2. In the Haryana State Co-operation Department Head-Office and Sub-Offices (Group D) Service Rules, 1991, in rule 5, for the figures "35", the figures "40" shall be substituted.

ALOK NIGAM,
Principal Secretary to Government Haryana,
Cooperation Department.

भाग III

हरियाणा सरकार

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 जनवरी, 2014

संख्या सा०का०नि० 6/संवि०/अनु० 309/2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1991, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2014 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1991 में, नियम 5 में, "पैंतीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "40" अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

अलोक निगम,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सहकारिता विभाग।